नाम न्यायालय   बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/6/22	समय पर ... /अभिभाषक संघ के न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य 5/8/22 व्यवकाश पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 5/8/22 को पेश हो। (रीडर)
	5/8/22	वकील वादी उप०। वादपत्र बाबत वकील वादी को सुना गया। बाद आदेश पत्रावली दिनांक 25/8/22 को पेश हो। [signature]
	25/8/22	वकील वादी उप०। वादपत्र पेश किया गया है। फैसला अलग से लिखा गया। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीणा, आर ए एस

वाद संख्या :— 51/2021

उनवान

1 बाबूलाल उर्फ अमरचन्द पुत्र गुल्लाराम गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रहलाद
हनुमान
भंवरी
जीवली
} पि० गुल्ला

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 26.8.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 61, 62, 63, कुल किता 3 रकबा 1.38 है० वाकै ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 5 बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 5 की माता रामप्यारी पत्नी गुल्ला की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आराजी वादी के पिता गुल्लाराम पुत्र देवा गुर्जर के फौत हो जाने के पश्चात उक्त आराजी विरासत के नामान्तरण से आयी है। विरासत के नामान्तरण में वादी का नाम बाबुलाल दर्ज किया गया था जिसको बाद में काटकर अमरचन्द दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के सभी पहचान पत्र दस्तावेज में वादी का नाम बाबूलाल अंकित है एवं वादी को बाबूलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा अपने अपने हिस्से में मन बंट के अनुसार काबिज कास्त करते आ रहें है। वादी को बाबूलाल व अमरचन्द दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है। जिसके कारण पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर का विरासत का नामान्तकरण अमरचन्द के नाम से भर दिया गया तथा सहवन से बाबूलाल नाम छूट गया। जबकि वादी के सभी दस्तावेज में बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम के नाम दर्ज है। वादी को बाबूलाल के नाम से ही जाना जाता है। वादी का नाम गलतरूप से इन्द्राज होने के कारण सरकार की योजनाओं से महरूम होना पड रहा है तथा यह वाद पत्र दुरूस्ती हेतु पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के अनुसार अमरचन्द के स्थान पर बाबूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वादीगण की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत देवीपुरा के द्वारा प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें जाहिर किया बाबूलाल उर्फ अमरचन्द एक ही व्यक्ति है। वादी के द्वारा पेश दस्तावेजात में भी बाबूलाल लाल पुत्र गुल्लाराम दर्ज है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड की गहनता से परीक्षण किया गया । वादी का नाम दस्तावेजात में बाबूलाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमरचन्द पुत्र गुल्ला दर्ज है,

तथा प्रतिवादीगण ने भी वादी का नाम अमरचन्द के बजाय बाबूलाल दर्ज किये जाने की सहमति दी है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 61, 62, 63 कुल किता 3 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार अमरचन्द पुत्र गुल्ला के स्थान पर बाबूलाल उर्फ अमरचन्द पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7) मूल वाद में डिक्री | प्रपत्र – 5 |

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 51 / 2021

उनवान

बाबूलाल उर्फ अमरचन्द पुत्र गुल्लाराम गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रहलाद
हनुमान
भंवरी
जीवली } पि0 गुल्ला

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 26.8.2022

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 61, 63 कुल किता 3 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार अमरचन्द पुत्र गुल्ला के स्थान पर बाबूलाल उर्फ अमरचन्द पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 26.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वादी के खर्चे		प्रतिवादी	रूपया
	रूपया		
वाद पत्र के लिए स्टाम्प लिखित पत्र के लिए स्टाम्प दस्तावेजों के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	